

पार्च डिप्टी

महान्याय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

उत्तरीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

10न0 -67/2025

आनन्द मिश्री पुत्र गुरुबचन जाति गोसाईं (गुशाई) निवासी 4-5 आर डबल्यू वी
गुरुबचन पुत्र जयदेव मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
कमलेश पत्नी गुरुबचन वादीगण

बनाम्

1. शांति पत्नी जयदेव जाति गोसाईं (गुशाई) निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राजकुमारी पुत्री जयदेव पत्नी दलीप कुमार जाति गोसाईं (गुशाई) निवासी मुकलावा श्रीगंगानगर।
3. उर्मिला पुत्री जयदेव पत्नी रामचन्द्र जाति गोसाईं (गुशाई) निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. सीमादेवी पुत्री जयदेव पत्नी मुखराम जाति गोसाईं (गुशाई) निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. सुनीता पुत्री जयदेव पत्नी कृष्णलाल जाति गोसाईं (गुशाई) निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. रेणू पुत्री गुरुबचन पत्नी संदीप कुमार जाति गोसाईं (गुशाई) निवासी रतनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. सोनू कुमारी पुत्री गुरुबचन पत्नी सुशील कुमार जाति गोसाईं (गुशाई) निवासी भूकरका तहसील नाहर जिला हनुमानगढ़


प्रतिवादीगण



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि क.वादी सं० 1 आनन्द मिश्री को प्राप्त आराजी रु- चक नं० 1 डीबीएल के खाता सं० 22/15 में अंकित कुल 1.822 है० ख.वादी सं० 2 गुरुबचन को प्राप्त आराजी रु - चक नं० 13 एस. एल. डबल्यू के खाता सं० 42/51 में अंकित कुल 1.164 है० आराजी ग. वादी सं० 3 कमलेश को प्राप्त आराजी : - चक नं० 4 आर. डबल्यू वी के खाता सं० 24 /20 में अंकित कुल 0.506 है० आराजी का वादीगण को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 1 डीबीएल के खाता सं० 22/15, चकनं० 13 एस.एल.डबल्यू के खाता सं० 42/51 व चक नं० 4

आर डबल्यू वी के खाता सं० 24/20 में से जयदेव का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी राक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




सहायक सचिव (नारायण R.A.S.)
मुख्य अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर
टिब्बी।